न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट आर.ए.एस.

अपील संख्या : 141/2017 एल.आर. एक्ट

1. जसवन्त पिसरान सुरजाराम जाति खाती बीड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. ओम प्रकाश पिसरान सुरजाराम जाति खाती बीड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. रामप्रताप पुत्र तेजाराम जाति खाति बीड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. राजबाला पत्नी नरसीराम जाति खाती बीड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. राजकुमार पिसरान श्रीराम जाति खाती बीड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. कृष्ण पिसरान श्रीराम जाति खाती बीड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मनफूल पुत्र भीयाराम पुत्र किस्तुरी पुत्री मामराज जाति खाती बीड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रोशनी पुत्री सुरजाराम जाति खाती बीड भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री आर के सिह तंवर – अभिभाषक रेस्पो. नं. 1
3. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 25–01–2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक मामराज के नाम से विरासतन् इन्तकाल दर्ज होकर अपीलान्टान के पक्ष में दुसरा इन्तकाल दिनांक 23.5.2015 को भूमि वाके चक 2 डी.पी.एन. मुरब्बा नं. 10 का किला नं. 21,22,24 किता कुल क्षेत्रफल 6.047 एवं 3 ता 6 कुल भूमि मामराज के नाम चक 2 डी.पी.एन. में खाता सं. 119 नं. 10,मुरब्बा नं. 28 मुरब्बा नं. 29 में भी भूमि थी। मामराज के तीन पुत्र धनाराम, हेमाराम, तेजाराम थे, तीनो के नाम से विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका था। मामराज की पुत्रियां का

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तरणकरण दर्ज नही हुआ था। इन्तकाल सं. 627 दिनांक 23.5.2015 के विरूद्व मनफूल पुत्र भीयाराम पुत्र किस्तुरी पुत्री मामराज द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर नोहर में अपील पेश की गई जिसमें अपील स्वीकार कर नामान्तरणकरण संख्या 627 दिनांक 23.5.2015 को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील पेश की गई है।

3. मियादः– प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय किया गया। संभव है कि अपीलांट्स को उक्त निर्णय की समय पर जानकारी नहीं मिली हो। विलम्ब के बारे में बताये गये कारण संतोषजनक है।, अतः विलम्ब का शमन किया जाता है।

4. प्रथम अपील न्यायालय ने न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते हुये तथा स्थगन आदेश प्रभावी होने के दौरान नामान्तरकरण स्वीकृत करने का नियम विरूद्व मानकर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश को निरस्त किया है। उपखण्ड अधिकासरी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 16.4.2015 को जारी एक तरफा अस्थायी स्थगनादेश में भूमि के विक्रय पर रोक लगाई थी। उक्त आदेश में रिकार्ड की यथास्थिति या विरासतन नामान्तकरण पर रोक नहीं थी। विरासतन नामान्तकरण एक सतत चलने वाली वित्तीय प्रक्रिया है जिसके आधार पर राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड अपडेंट किया जाता है। तहसीलदार ने मृतक खातेदार के प्राकृतिक वारिसों के पक्ष में तथा कुछ प्राकृतिक वारिसों द्वारा अन्य के पक्ष में हक त्याग कर देने के दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। प्रथम अपील न्यायालय ने स्थगन आदेश बताकर नामान्तरकरण के निर्णय को अवैध धोषित करने में भूल की है, क्योंकि स्थगन केवल विक्रय पर था।

अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर, नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2016 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12–09–2019 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।